2018/00158

मिसल नं0 19/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम कालू पुत्र चतरा जाति बलाई निवासी दीगोद तहसील दीगोद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेशकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद के पूर्व ख0 नं0 1428 सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2013–2032 मे किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी । हाल नम्बर 1472 रकबा 0.42 है0 ग्राम दीगोद तहसील दीगोंद उक्त आराजी नामा0 सं0 895 दिनांक 31.07.2002 से अप्रार्थी कालू पुत्र चतरा बलाई नि0 दीगोद तहसील दीगोद के नाम के खातेदार के दर्ज है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै0 मु0 तालाब राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुन्दाओं की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का स्वर्गवास हो गया है । अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची व सही पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/1059 दिनांक 21.10.2019 से तहसीलदार दीगोद को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सभी अप्राथी मृतक के कायम मुकामान अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	